राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल दीवानी रिट याचिका संख्या 13634/2020

1. परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आरयूआईडीपी), कार्यालय एवीएस भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

2. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आरयूआईडीपी), कोटा (राज.)

3. शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के तहत सचिव, स्थानीय निकाय के माध्यम से राजस्थान राज्य।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय है और अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुदीप्तो लहरी के माध्यम से 40, स्टीफन हाउस, 4, बीबीडी बाग (पूर्व), कोलकाता-700001 पर व्यवसायरत है।

2. एकमात्र मध्यस्थ श्री दिनेश चंद सोमानी (सेवानिवृत्त) निवासी - एचई-1002, प्रताप अपार्टमेंट, एचआईजी ब्लॉक, सेक्टर 29, प्रताप नगर, जयपुर-302033

- उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए : डॉ. पी. सी. जैन, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री अंगद मिर्धा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार गौड़

<u>आदेश</u>

निर्णय आरक्षित तिथिः 20 जनवरी, 2021

आदेश की तिथि: 24 फरवरी, 2021

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>न्यायालय द्वाराः</u>

1. वाणिज्यिक न्यायालय] संख्या 1, जयपुर महानगर-II (जो इसके बाद 'अवर न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2020 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 13, 14 और 15 के तहत दायर किये गए आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में, तथ्य यह है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 02.04.2018 के अपने आदेश के माध्यम से न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र शर्मा (सेवानिवृत्त) को 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री दिनेश चंद्र सोमानी (सेवानिवृत्त) को दिनांक 15.12.2018 के आदेश के माध्यम से खंड पीठ द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 15.12. 2018 के आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनर्विचार याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इसे खंडपीठ ने 03.01.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

3. दावेदार-प्रत्यर्थी ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष दावा याचिका दायर की, जिसमें दो प्रकार के दावों की मांग की गई थी अर्थात (1) 1,05,45,760/- रु. के लिए और (2) 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,77,00,000/- रु. प्राप्ति तक ।

4. 1996 के अधिनियम की अनुसूची-IV के साथ पठित धारा 11 (14) के अनुसार, एकमात्र मध्यस्थ ने दिनांक 28.04.2019 के अपने आदेश द्वारा अपनी फीस 6,48,696/- रुपये निर्धारित की। एकमात्र मध्यस्थ ने यह

भी उल्लेख किया कि दावेदार ने दावा/मध्यस्थता कार्यवाही के प्रारंभ का विवरण प्रस्तुत करने तक ब्याज की राशि निर्धारित नहीं की थी और पक्षकारों को ब्याज की राशि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि दावे के बयान में दावा किया गया था और इसे सुनवाई की अगली तारीख को प्रस्तुत किया जाना था । एकमात्र मध्यस्थ ने यह भी उल्लेख किया कि ब्याज की राशि के मात्राकरण के बाद, माध्यस्थम अधिकरण की फीस को तदनुसार फिर से निर्धारित किया जाना था।

5. इसके बाद, दावेदार द्वारा ब्याज की मात्रा निर्धारित करते हुए एक आवेदन दायर किया गया और दावा याचिका प्रस्तुत करने तक ब्याज के रूप में 11,17,00,000/- रुपये की राशि का दावा किया गया। एकमात्र मध्यस्थ ने दिनांक 09.08.2019 के आदेश द्वारा शुल्क को फिर से निर्धारित किया और 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (14) और उससे संलग्न अनुसूची-IV के अनुसार 19,21,366/- रुपये पर फीस की गणना की। उक्त राशि का भुगतान एकमात्र मध्यस्थ को नहीं किया गया था और इस प्रकार, एकमात्र मध्यस्थ ने 26.09.2019, 16.10.2019 और 30.10.2019 की कार्यवाहियों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को माध्यस्थम अधिकरण की फीस जमा करने के लिए समय दिया।

6. एकमात्र मध्यस्थ ने जब पाया कि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, तो उसने 24 फरवरी 2020 को आदेश पारित किया, जिसमें प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह माध्यस्थम अधिकरण की फीस के भुगतान के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर करे।दिनांक 24.02.2020 के आदेश को 06.03.2020 को एक समीक्षा याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी और इसे 22.03.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

7. एकमात्र मध्यस्थ ने, पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के बाद, मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखी और अंतिम बहस के चरण तक पहुंच गया और आंशिक रूप से मामले को सुना।एकमात्र मध्यस्थ ने 18.10.2020 को अंतिम बहस के लिए एक आदेश पारित किया और 07.11.2020 को अगली तारीख तय की।

8. याचियों ने उस स्तर पर, 1996 के अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत अवर न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया और याचियों की प्रस्तुतियों पर विचार करने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद, नीचे के न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचियों द्वारा दायर किए गए आवेदन में कोई योग्यता नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और तदनुसार आवेदन को खारिज कर दिया।

9. याचियों के विद्वत वकील डॉ. पी. सी. जैन ने निम्नलिखित निवेदन किए हैंः-

9 क. निचले न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 38 और 39 में निहित प्रावधानों के आलोक में याचियों द्वारा दायर आवेदन पर विचार नहीं किया है।

9 ख. अवर न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत दायर आवेदन की गुंजाइश पर विचार नहीं किया है और केवल मध्यस्थता को समाप्त करने के आदेश के बारे में विचार किया गया था।

9 ग. एआईआर 2019 राज.54 में रिपोर्ट किए गए दोषियन प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मामले में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून में निहित विधिक पक्ष को देखे बिना कोई विचार और भेद नही किया गया ।

9 घ. अवर न्यायालय 1996 के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) पर विचार करने में विफल रहा है क्योंकि प्रभारी अधिकारी के हलफनामे की मांग कर फीस के भुगतान पर जोर देने के लिए माध्यस्थम अधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधि की नजर में सही प्रक्रिया नहीं थी।

9 ड़. एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्रभारी अधिकारी का बयान दर्ज करने और उससे स्पष्टीकरण मांगने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कुछ भी नहीं बल्कि क्षेत्राधिकार से अधिक है, जो उसमें निहित नहीं है।

9 च. ब्याज घटक का पुनरीक्षण करते हुए बढ़ा-चढ़ाकर किया गया दावा एकमात्र मध्यस्थ द्वारा नहीं माना जा सकता था और दावा याचिका में

दिए गए मूल राशि से बहुत अधिक ब्याज के इस तरह के दावे शुल्क प्रभारित करने की विषय वस्तु नहीं बन सकते। इसे संशोधित करके, 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (14) के प्रावधानों सपठित अनुसूची-IV संलग्न का आश्रय लेते हुए ।

10. इसके विपरीत, श्री अंगद मिर्धा, प्रत्यर्थी के वकील ने निम्नलिखित निवेदन किए हैंः-

10 क. निचले न्यायालय ने एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए याचियों द्वारा दायर सारहीन आवेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया है।

10 ख. दावा याचिका में, दावेदार ने राशि की वसूली तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावे के दो सेट मांगे थे। ब्याज की राशि की मात्रा केवल एक अंकगणितीय प्रक्रिया थी, जिसे 28 अप्रैल, 2019 को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अनुमति दी गई थी और शुल्क को माध्यस्थम अधिकरण द्वारा फिर से निर्धारित किया जाना था।

10 ग. दावेदार ने अपने दावे में अतिशयोक्ति नहीं की है और ब्याज की राशि का मात्राकरण दावे का हिस्सा है और एकमात्र मध्यस्थ दावेदार के हित की पात्रता का निर्णय करते समय अपनी क्षमता के भीतर है।

10 घ. याचियों के आचरण से पता चलता है कि विभिन्न तारीखों पर वे पुनर्निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे और कई अवसरों पर उन्होंने उसी का भुगतान करने के लिए समय मांगा और बाद में, जब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और एकमात्र मध्यस्थ ने प्रभारी अधिकारी द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो याचियों को उनके द्वारा लिए गए रुख से यू-टर्न लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वे एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पुनर्निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए अपनी स्वीकृति से बाध्य हैं।

10 ड. याचियों द्वारा दाखिल की गई वर्तमान याचिका या याचियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र मध्यस्थ ने पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखी और मामला अंतिम

बहस के चरण तक आ गया है और इस प्रकार, याचियों को अब एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. मैंने पक्षकारों के वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

12. 1996 के अधिनियम की धारा 11(14), 13, 14, 15, 31क, 38 और 39 को तत्काल निर्देश के लिए उद्धृत करना उपयुक्त होगाः-

> **11 (14)** मध्यस्थ संस्था मध्यस्थता अधिकरण की फीस और मध्यस्थता अधिकरण को इसके भुगतान के तरीके को चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन निर्धारित करेगी।
>
> **13 चुनौती प्रक्रिया-** (1) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, पक्षकार किसी मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।
>
> (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते को विफल करने पर, एक पक्ष जो मध्यस्थ को चुनौती देने का इरादा रखता है, पंद्रह दिनों के भीतर मध्यस्थता अधिकरण के संविधान के बारे में अवगत होने के बाद या धारा 12 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति से अवगत होने के बाद, मध्यस्थता अधिकरण को चुनौती के कारणों का लिखित विवरण भेजें।
>
> (3) जब तक मध्यस्थ, जिसे उप-धारा (2) के तहत चुनौती दी गई है, अपने कार्यालय से हट नही जाता है या अन्य पक्ष चुनौती के लिए सहमत हैं, तो मध्यस्थता अधिकरण चुनौती पर फैसला करेगा।
>
> (4) यदि कोई चुनौती, किसी भी प्रक्रिया के तहत, पार्टियों द्वारा स्वीकार की जाती है या प्रक्रिया के तहत, उप-धारा (2) के तहत, सफल नहीं होता है,

मध्यस्थता अधिकरण मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखेगा और एक मध्यस्थ निर्णय देगा।

(5) जहां उपधारा (4) के अधीन माध्यस्थम् पंचाट दिया जाता है, वहां मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्षकार धारा 34 के अनुसार ऐसे माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन किए गए आवेदन पर किसी माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त किया जाता है, वहां न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि क्या चुनौती दिए गए मध्यस्थ किसी फीस के हकदार हैं।

14. कार्य करने में असफलता या असंभवता - (1) किसी मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यदि-]

(क) वह न्यायसंगत हो जाता है या वस्तुतः अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से बिना असम्यक विलंब किए कार्य करने में विफल रहता है. और

(ख) वह अपने पद से हट जाता है या पक्षकार उसके अधिदेश की समाप्ति के लिए सहमत हो जाते हैं।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी आधार के संबंध में कोई विवाद बना रहता है तो कोई पक्षकार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, अधिदेश की समाप्ति पर विनिश्चय करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकेगा।

(3) यदि, इस धारा या धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन, कोई मध्यस्थ अपने पद से हट जाता है या कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति के लिए सहमत हो जाता है, तो इसका अर्थ इस धारा या धारा 12 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आधार की विधिमान्यता को स्वीकार करना नहीं होगा।

15. आदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन।

(1) धारा 13 या धारा 14 में उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा, एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा -

(क) जहां वह किसी कारण से अपने पद से हट जाता है. या

(ख) पक्षकारों के करार द्वारा या उसके अनुसरण में.

(2) जहां मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाता है, वहां स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति उन नियमों के अनुसार की जाएगी जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू थे।

(3) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, जहां एक मध्यस्थ को उपधारा (2) के तहत प्रतिस्थापित किया जाता है, पहले की गई किसी भी सुनवाई को मध्यस्थता अधिकरण के विवेक पर दोहराया जा सकता है।

(4) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, इस धारा के अधीन किसी मध्यस्थता अधिकरण के प्रतिस्थापन के पूर्व किया गया माध्यस्थम् अधिकरण का कोई आदेश या विनिर्णय केवल इसलिए अविधिमान्य नहीं होगा क्योंकि

माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना में परिवर्तन हुआ है।

31A. लागत के लिए व्यवस्था- (1) मध्यस्थता से संबंधित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही या कार्यवाही के संबंध में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित करने का विवेक होगा।

(क) क्या लागत एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देय है.

(ख) ऐसी लागत की रकम. और

(ग) जब ऐसे खर्चों का भुगतान किया जाना है।

व्याख्या- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "लागत" का अर्थ उचित लागत से संबंधित है-

(i) मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों की फीस और खर्च

(ii) विधिक फीस और व्यय

(iii) माध्यस्थम् प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था की कोई प्रशासनिक फीस, और

(iv) माध्यस्थम् या न्यायालय कार्यवाहियों और माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय.

(2) यदि न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लागतों के भुगतान के संबंध में आदेश देने का निर्णय करता है,—

(क) सामान्य नियम यह है कि असफल पक्षकार को सफल पक्षकार के खर्चे का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा. या

(ख) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक अलग आदेश दे सकता है।

(3) लागतों का निर्धारण करने में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें शामिल हैं-

(क) सभी पक्षकारों का आचरण

(ख) क्या कोई पक्षकार मामले में आंशिक रूप से सफल हुआ है

(ग) क्या पक्षकार ने तुच्छ प्रतिदावा किया था जिसके कारण माध्यस्थम कार्यवाहियों के निपटान में विलंब हुआ था. और

(घ) क्या किसी पक्षकार द्वारा विवाद को निपटाने के लिए कोई तर्कसंगत प्रस्ताव किया गया है और दूसरे पक्षकार द्वारा इंकार किया गया है.

(4) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस खंड के तहत कोई भी आदेश दे सकता है जिसमें वह आदेश भी शामिल है जो एक पक्ष भुगतान करेगा-

(क) दूसरे पक्षकार की लागत का अनुपात

(ख) अन्य पक्षकार के खर्चे के संबंध में वर्णित रकम

(ग) केवल एक निश्चित तिथि से या तक की लागत;

(घ) कार्यवाहियां आरंभ होने से पूर्व उपगत लागत

(ङ) कार्यवाहियों में उठाए गए विशिष्ट कदमों से संबंधित लागत

(च) कार्यवाहियों के केवल सुभिन्न भाग से संबंधित खर्चा. और

(छ) किसी निश्चित तारीख से या तक लागत पर ब्याज.

(5) एक समझौता जिसका प्रभाव यह है कि एक पक्ष को किसी भी घटना में मध्यस्थता की पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना है, केवल तभी मान्य होगा जब इस तरह का समझौता प्रश्नगत विवाद के उपजने के बाद किया गया हो।

38. जमाः (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि, जैसा भी मामला हो, तय कर सकता है, जिसे प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में वह व्यय किए जाने की अपेक्षा करता है:

बशर्ते कि जहां, दावे के अलावा, एक प्रतिदावा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया गया हो, वह दावे और प्रतिदावे के लिए जमा की अलग राशि तय कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमा राशि पार्टियों द्वारा समान हिस्सों में देय होगी:

बशर्ते कि जहां एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष उस हिस्से का भुगतान कर सकता हैः

बशर्ते कि जहां अन्य पक्ष भी दावे या प्रति-दावे के संबंध में पूर्वोक्त हिस्से का भुगतान नहीं करता है,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस तरह के दावे या प्रति-दावे के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है, जैसा भी मामला हो .

(3) मध्यस्थता की कार्यवाही समाप्त होने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्राप्त जमा राशियों के पक्षकारों को लेखा प्रदान करेगा और किसी भी अव्ययित शेष को पार्टी या पार्टियों को वापस कर देगा, जैसा भी मामला हो।

39. माध्यस्थम् पंचाट और लागत के बारे में निक्षेपों पर धारणाधिकार - (1) उपधारा (2) के उपबंधों और माध्यस्थम् करार में इसके विपरीत किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए माध्यस्थम् पंचाट पर एक ग्रहणाधिकार होगा।

(2) यदि किसी मामले में कोई माध्यस्थम अधिकरण अपने द्वारा मांगे गए खर्चे के भुगतान के सिवाय अपना पंचाट देने से इंकार करता है, तो न्यायालय, इस संबंध में एक आवेदन पर, यह आदेश दे सकता है कि माध्यस्थम अधिकरण मांग किए गए खर्चे का आवेदक द्वारा न्यायालय में भुगतान करने पर आवेदक को माध्यस्थम पंचाट देगा और ऐसी जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, आगे आदेश देगा कि मध्यस्थता अधिकरण को इस प्रकार भुगतान किए गए धन में से लागत के रूप में ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे न्यायालय उचित समझे और यह कि शेष राशि, यदि कोई हो, तो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन किसी पक्षकार द्वारा तब तक किया जा सकता है जब तक उसके और मध्यस्थता अधिकरण के बीच लिखित करार द्वारा मांगी गई फीस नियत नहीं की जाती है और मध्यस्थता अधिकरण ऐसे किसी आवेदन पर उपस्थित होने और सुनने का हकदार होगा।

(4) न्यायालय माध्यस्थम् के खर्चों के संबंध में ऐसे आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे जहां ऐसे खर्चों के संबंध में कोई प्रश्न उठता है और माध्यस्थम् पंचाट में उनके संबंध में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

13. वर्तमान मामले में, निर्धारित किया जाने वाला प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या एकमात्र मध्यस्थ ने ब्याज की राशि के मात्राकरण की अनुमति देने में कोई अवैधता की है, जिसकी गणना दावा याचिका दायर करने के समय नहीं की गई थी, हालांकि राशि की प्राप्ति तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा किया गया था। आनुषंगिक मुद्दा मध्यस्थता न्यायाधिकरण की फीस के संबंध में भी है, जिसमें मात्राकरण के बाद ब्याज के घटक को जोड़ा गया है और क्या एकमात्र मध्यस्थ 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (14) और अनुसूची-4 के अनुसार फिर से निर्धारित शुल्क के लिए कहने में सक्षम है।

14. इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में दावेदार ने, दावे का विवरण दाखिल करते समय, अपनी बैंक गारंटी को भुनाने और कटौती की गई राशि अर्थात् 1,05,45,760/- रुपये और 1.77 करोड़ रुपये (लगभग) की वापसी/धन वापसी के लिए दिनांक 06.06.2007 के आदेश को 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रद्द करने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की थी।

15. इस न्यायालय ने पाया कि यदि दावे की याचिका में ब्याज का दावा एक विशेष प्रतिशत पर किया गया था, अर्थात् वर्तमान मामले में इसकी प्राप्ति तक 18% प्रतिवर्ष, तो दावेदार ब्याज की राशि को निर्धारित करने के अपने अधिकार के भीतर था और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा

सकता है कि ब्याज की राशि दावेदार की ओर से एक अतिरंजित दावा है या यह दावे के दायरे से परे है, जो दावेदार द्वारा दायर किया गया है।

16. इस न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के वकील की सुनवाई करते समय, मध्यस्थता अधिकरण की फीस के निर्धारण के लिए, एकमात्र मध्यस्थ ने विशेष रूप से कहा था कि दावा की गई राशि पर, 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (14) के अनुसार फीस का भुगतान किया जाना था, जिसे अनुसूची-IV के साथ पढ़ा जाए। एकमात्र मध्यस्थ ने आगे यह स्पष्ट किया था कि ब्याज की राशि के मात्राकरण के बाद, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की फीस को तदनुसार फिर से निर्धारित किया जाना था.

17. याचियों के विद्वत वकील का प्रस्तुत किया गया कि अतिरंजित दावा, जो मूल दावे की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है, दावे की याचिका में दावा की गई राशि से अधिक है, इसे अतिरंजित दावे के रूप में माना जाना चाहिए, इस न्यायालय ने पाया कि ब्याज या विशेष दावे का पंचाट, देय या देय नहीं, मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी होने के बाद एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित किए जाने वाले पंचाट पर अंततः निर्भर करेगा।यह न्यायालय पाता है कि यदि किसी विशेष राशि/दावे पर ब्याज के विरुद्ध किसी राशि का दावा किया जाता है या यदि कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रतिदावा दायर किया जाता है, तो इसका परिणाम संबंधित पक्ष को राशि का दावा करने से वंचित नहीं कर सकता है।

18. याचियों के विद्वत वकील का प्रस्तुतिकरण कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद, जिस तरह से कार्यवाही आयोजित की गई थी और प्रभारी अधिकारी से हलफनामा मांगा गया था, वह एकमात्र मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करने के बराबर है और इस प्रकार, 1996 के अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, एकमात्र मध्यस्थ को मामले में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता का आरोप पूरी तरह से आधारहीन और गलत है।1996 के अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा शुल्क के निर्धारण को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए चुनौती के रूप में नहीं माना

जा सकता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में कोई संदेह पैदा होता है।

19. मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ द्वारा शुल्क के निर्धारण का मुद्दा और मामला अंतिम बहस के चरण तक पहुंचने के बाद 1996 के अधिनियम की धारा 14 और 16 के तहत एक आवेदन दाखिल करके मध्यस्थ की ऐसी कार्रवाई को चुनौती देना जीएस डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (ओएमपी (टी) (कॉम।) 54/2019 और आईए 8116-8117/2019) दिनांक 29 मई, 2019 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।

20. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि यदि मध्यस्थ अपनी फीस नियत करता है तो पक्षपात का आरोप लगाते हुए 1996 के अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और एकमात्र उपाय यह है कि अंतिम पंचाट को चुनौती देने के साथ-साथ पंचाट की प्रतीक्षा की जाए और उसे चुनौती दी जाए और इस प्रकार, 1996 के अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन को ध्यान में नहीं रखा गया है।जीएस डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड *(उपर्युक्त)* के मामले में निर्णय के प्रासंगिक पैरा संख्या 18 और 19 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

> "18. उपरोक्त आदेश द्वारा, मध्यस्थ ने घटनाओं के पूरे अनुक्रम और जिस तरह से मध्यस्थता के समक्ष कार्यवाही आयोजित की गई है, विशेष रूप से शुल्क के निर्धारण के संबंध में, उसे दर्ज किया है। याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा ११3(2) के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए, कथित आदेश के पैराग्राफ 58 में मध्यस्थ ने शुल्क के संबंध में निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं:
>
> "58. हालांकि, न्याय के हित में प्रतिवादी 28 मार्च 2019 के आवेदन की प्रार्थना (ए) पर दबाव नहीं

डालता है, ट्रिब्यूनल अब इस मामले की फीस संरचना में संशोधन करता है जैसा कि आदेश दिनांक 12 मई 2017 को चौथी अनुसूची में रखा गया है। ट्रिब्यूनल अब दावों के लिए 37.50 लाख रुपये और प्रतिदावे के लिए 37.50 लाख रुपये चार्ज करेगा, जिसे पार्टियों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।प्रत्यर्थी दावों के साथ-साथ प्रतिदावों के लिए आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर चौथी अनुसूची के अनुसार भुगतान कर सकता है।यदि प्रतिवादी दावों और प्रतिदावों के लिए शुल्क के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दावेदार उसके बाद 10 दिनों के भीतर दावे के साथ-साथ प्रतिदावे के शुल्क के प्रतिवादी के हिस्से का भुगतान कर सकते हैं। अधिकरण को इस तथ्य का ध्यान है कि दावेदार ने प्रतिदावे के लिए शुल्क में प्रत्यर्थी के हिस्से का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह 12 मई 2017 के आदेश में दिए गए शुल्क ढांचे की पृष्ठभूमि में ऐसा था.यदि दावेदार इस तरह के भुगतान नहीं करते हैं, तो मामला दावों पर प्रतिवादी की दलीलों के साथ-साथ प्रतिदावों और उसके बाद रिजोइंडर तर्कों के लिए आगे बढ़ेगा, और मध्यस्थता बकाया के पहलू को कानून के अनुसार पंचाट देने के चरण में निपटाया जाएगा।न्यायाधिकरण द्वारा 18 दिसंबर 2017 और 17 जनवरी 2019 को जारी किए गए शुल्क ज्ञापन वापस ले लिए गए हैं।"

19. ऐसा हो सकता है कि, यदि पक्षपात का आरोप अधिनियम की धारा 13 के तहत लगाया जाता है, तो याचिकाकर्ता का उपचार केवल अधिनिर्णय की प्रतीक्षा करना है और उसके बाद उसे चुनौती देना है, यदि ऐसा है, तो अंतिम पंचाट को उसकी चुनौती के

साथ सलाह दी जाती है।याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकता है।"

21. याचियों के विद्वत वकील का प्रस्तुतीकरण कि 1996 के अधिनियम की धारा 39 के तहत, माध्यस्थम अधिकरण को माध्यस्थम के किसी भी अवैतनिक लागत के लिए माध्यस्थम पंचाट पर ग्रहणाधिकार रखने की शक्ति है और इस तरह, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने का कोई आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। ब्याज की राशि की मात्रा के परिमाणन के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि दावे के अनुसार, मध्यस्थ की फीस का निर्धारण, 1996 के अधिनियम के साथ संलग्न धारा 11 की उप-धारा (14) के अनुसार होना चाहिए और मध्यस्थ की ऐसी फीस को मध्यस्थता की अवैतनिक लागत नहीं माना जा सकता है जिसका मध्यस्थ पंचाट पर कोई ग्रहणाधिकार होना चाहिए ।

22. याची के विद्वत वकील का प्रस्तुतीकरण कि माध्यस्थम अधिकरण को 1996 के अधिनियम की धारा 31क के अनुसार लागत निर्धारित करने की शक्ति है और माध्यस्थम अधिकरण जमाओं से संबंधित 1996 के अधिनियम की धारा 38 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागत के लिए अग्रिम के रूप में जमा या अनुपूरक जमा की राशि तय कर सकता है, इस न्यायालय ने पाया कि जहां तक 1996 के अधिनियम की धारा 38 के लागू होने का संबंध है, मामले के वर्तमान तथ्यों में इसे आकर्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मध्यस्थम की लागत का निर्णय 1996 के अधिनियम की धारा 31क के तहत उपबंधित विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखने के बाद एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जा सकता है।शुल्क का भुगतान न किए जाने को 1996 के अधिनियम की धारा 31ए के तहत 'लागत के लिए व्यवस्था' के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

23. 1996 के अधिनियम की धारा 14 के तहत मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के संबंध में विवाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड 2019(5) एआरबीएलआर 235 (एससी) में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

विचार के लिए आया था। उक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 31 (ए) के साथ पठित धारा 31 (8) के दायरे पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ की फीस भुगतान किए जाने वाले खर्च का घटक हो सकती है, लेकिन उसके बाद यह कहना बहुत दूर की बात होगी कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (8) और धारा 31 ए सीधे संविदाओं को शासित करेगी, जिसमें, एक शुल्क संरचना पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है।शीर्ष अदालत ने यह भी पाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में बनाया गया कानून भी कानून के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखता।उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा संख्या 5,6,7,12,13 और 14 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "5. इसके बाद मामला मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष आया, जो तब तक गठित था, जिसमें न्यायाधिकरण ने 23.08.2017 को एक आदेश पारित किया, जिसमें यह कहा गया थाः
>
> 1. 12. 1 शुल्कः
>
> (क) दावेदार ने सूचित किया कि एटी की फीस के संबंध में पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं है।
>
> (ख) प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि एटी की फीस एनएचएआई द्वारा उनके दिनांक 01.06.2017 के परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।
>
> (ग) न्यायाधिकरण ने मामले पर विचार किया और फैसला किया कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की चौथी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार एटी की फीस को विनियमित किया जाएगा।"
>
> 6. प्रतिवादी ने, इस आदेश के खिलाफ, न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 13.10.2017 का

एक आवेदन दिया, जिसमें उसने न्यायाधिकरण को याद दिलाने की कोशिश की कि मध्यस्थता शुल्क समझौते द्वारा निर्धारित किया गया है और इसलिए, उन्हें 2017 की नीति के संदर्भ में तय किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के अनुसार।मामला 30.01.2018 को फिर से ट्रिब्यूनल के समक्ष आया। इसके बाद न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"3. 8 प्रत्यर्थी ने एटी द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा के लिए और इसे एनएचएआई के दिनांक 01.06.2017 के परिपत्र के संदर्भ में संशोधित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

यह पता चला कि दावेदार ने अनजाने में पैरा 1.12 के अनुसार एटी को सूचित कर दिया था.1(क) कि एटी की फीस के संबंध में पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। वास्तव में, समझौता एटी के शुल्क की एक निश्चित दर के लिए प्रदान करता है, जैसा कि पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

इस मामले पर दोनों पक्षों द्वारा मौखिक निवेदन किया गया था।एटी ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और फैसला किया कि संशोधित अधिनियम के नवीनतम प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, एटी पक्षकारों के समझौते की परवाह किए बिना शुल्क निर्धारित करने में सक्षम है।यह एनएचएआई बनाम गायत्री झांसी रोडवेज के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11.09.2017 के फैसले के अनुसार है।एटी ने दोहराया कि पहली सुनवाई में निर्धारित शुल्क का पालन किया जाएगा।तदनुसार, शुल्क को संशोधित मध्यस्थता और सुलह

अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. इस आदेश का सामना करते हुए, प्रतिवादी ने मध्यस्थों के आदेश को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत 08.05.2018 को एक आवेदन दिया, क्योंकि प्रतिवादी के अनुसार, मध्यस्थों ने जानबूझकर पक्षकारों के बीच समझौते की अवहेलना की थी और इसलिए, कानूनी रूप से आगे कोई कार्रवाई करने में असमर्थ थे।

12. तथापि, हम यह इंगित कर सकते हैं कि मध्यस्थों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया आवेदन, जिसमें कहा गया है कि उनका आदेश समाप्त किया जाना चाहिए, पूरी तरह से निराधार है और साधारण कारण से झूठ नहीं बोलेगा कि एक मध्यस्थ अपने कार्यों का निष्पादन करने में कानूनी तौर पर असमर्थ नहीं हो जाता है यदि, ऐसे मध्यस्थ (ओं) द्वारा पारित आदेश द्वारा, उन्होंने जो कुछ किया है, वह यह है कि वास्तव में, समझौता प्रभारित किए जाने के लिए मध्यस्थता शुल्क को नियंत्रित करता है, लेकिन वे गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का पालन करने के लिए बाध्य थे, जो स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि चौथी अनुसूची और समझौता शासित नहीं होगा।

13. मध्यस्थों ने केवल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया और इस आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है ताकि उनका आदेश समाप्त किया जा सके जैसे कि वे अब अपने कार्यों को करने में

कानूनी तौर पर असमर्थ हो गए हैं।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 14 आवेदन की अनुमति देकर गलती की और हमने इस आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया।

14. हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष है कि धारा 31(8) सपठीत धारा 31ए की भाषा में परिवर्तन, जो आम तौर पर केवल लागतों से संबंधित है और मध्यस्थ की फीस से संबंधित नहीं है, कानून में सही है।यह सच है कि मध्यस्थ की फीस भुगतान की जाने वाली लागत का एक घटक हो सकती है, लेकिन इसके बाद यह कहना बहुत दूर की बात होगी कि धारा 31 (8) और 31ए सीधे उन संविदाओं को शासित करेगी जिनमें शुल्क संरचना पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।इस हद तक, विद्वान एकल न्यायाधीश सही है।हम यह भी कह सकते हैं कि गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड में एकल न्यायाधीश द्वारा कानून की घोषणा कानून का सही दृष्टिकोण नहीं है।"

24. याचियों के विद्वत वकील का यह प्रस्तुतिकरण कि इस न्यायालय ने दोशीयन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में अत्यधिक फीस प्रभारित करने का अनुमोदन नहीं किया है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान मामले में, एकमात्र मध्यस्थ की फीस अनुसूची-IV के साथ पठित 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (14) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निर्धारित की गई है।ब्याज की राशि के मात्राकरण के बाद कुल दावे के आधार पर एकमात्र मध्यस्थ, यदि 1996 के अधिनियम में संलग्न अनुसूची-IV का पालन किया है, तो एकमात्र मध्यस्थ के इस तरह के निर्णय में कोई अवैधता नहीं पाई जा सकती है।

25. इस न्यायालय ने आगे पाया कि याचियों ने 28.04.2019 को पारित प्रारंभिक आदेश के बाद कई चरणों में एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लिया है, जिसके अनुसार मध्यस्थता

न्यायाधिकरण की ब्याज और शुल्क की राशि के मात्राकरण की अनुमति दी गई है।मध्यस्थता की कार्यवाही में लगातार भाग लेने के लिए याचिकाकर्ताओं का आचरण स्पष्ट रूप से साबित करता है कि जब मामले की अंतिम चरण में सुनवाई की गई, तो उन्होंने नीचे की अदालत के समक्ष एकमात्र मध्यस्थ के आदेशों को चुनौती दी। मध्यस्थ कार्यवाही में भाग लेने के बाद याचिकाकर्ताओं को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस के पुनर्निर्धारण के एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को चुनौती देने से रोका जाता है।इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का आचरण, मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेकर, उन्हें एकमात्र मध्यस्थ द्वारा बाद में पारित आदेश को चुनौती देने से रोकता है।

26. तदनुसार, याचियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार गौड़), जज

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.